आदेश

मानवीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता मे दिनांक 20.03.2020 को 1:00 बजे हुई मिंटिंग मे दिए गए निर्देशो की पालना मे, प्रधान सचिव, हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के पत्र कमांक ई.पी.-207/2020/22888-23071 दिनांक 20.03.2020 तथा विश्व स्वास्थ्सय संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है जिसके संदर्भ मे बचाव एवं रोकथाम हेतू हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन कमांक 46/4/2020-5 एच. बी. -दिनांक 11.03.2020 की धारा 2,3,व 4 मे निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुये **मै धीरेन्द्र खडगटा, भा.प्र.से., जिलाधीश कुरूक्षेत्र** की सीमा मे आमजन मे उक्त महामारी से बचाव हेतू निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं (सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आदेशो की पालना करवाना सुनिश्चित करें):-

1. जिला कुरूक्षेत्र मे स्थित सभी व्यवसायिक व तकनीकी संस्थान,कालेज,स्कुल,व्यवसायिक रूप से चलाये जा रहे है कोचिंग-ट्यूशन सैंटर को दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्णरूप से बन्द किया जाता है ।
2. जिला कुरूक्षेत्र मे स्थित सभी जिम कलब स्विमिग पूल,व्यवसायिक रूप से चलायेजा रहे पार्क/मनोरंजन स्थल को दिनांक 31.03.2020 तक तुरन्त प्रभाव से पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है।
3. किसी भी प्रकार के सामाजिक/धार्मिक कार्यकम/सतसंग, रैली, जुलुस, मेले , समेलन, राजनैतिक कार्यकम, खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यकम, शैक्षिणिक कार्यकम एवं पारिवारिक कार्यकम जिनमें 20 से अधिक तक जनसमूह एकत्रित होता हो, को दिनांक 31.03.2020 तक तुरन्त प्रभाव से पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है ।
4. जिला कुरूक्षेत्र मे स्थित सभी ढाबा/होटल/रैस्टोरैन्ट/बार जहां एक समय पर 20 व इससे अधिक की संख्या में व्यक्ति खाना खाने हेतू आते है, उन सभी ढाबा/होटल/रैस्टोरैन्ट/बार मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह 20 से अधिक संख्या मे व्यक्तियो हेतू टेबल ना लगाये, टेबल, रसोईघर व शौचालय आदि को सैनेटाईज करें तथा कार्यरत कमचारियो को मास्क व सैनेटाईजर उपलब्ध करवाये। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित थाना प्रबन्धकों को निर्देश दिए जाते है कि ढाबा/होटल/रैस्टोरैन्ट/बार में एक समय पर 20 व्यक्तियों से अधिक वाहनो को प्रवेश ना करने दिया जाये।
5. जिला कुरूक्षेत्र के ओधोगिक क्षेत्र/फैक्टरियों के मालिक/प्रबन्धन सभी कर्मचारियों को मास्क व सैनेटाईजर उपलब्ध करवाये एवं इससे सम्बन्धित निर्देशों को समय-समय पर पालना इस उद्वेश्य से करें कि करोना वायरस का फैलाव रोका जा सके।
6. महाप्रबन्धक हरियाणा रोडवेज कुरूक्षेत्र(हरियाणा)को निर्देश दिए जाते है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बसों में निर्धारित सीटों से अधिक यात्री सफर ना करें तथा प्रत्येक टिकट काउटर पर कर्मचारियों के लिए मास्क एवं सैनेटाइजर उपलब्ध करवायें, बसों को नियमित प्रतिदिन सैनेटाईज करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त बस अड्डा परिसर मे यात्रियों हेतू हाथ धोने के लिए साबून व सैनेटाईजर की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।
7. स्टेशन अधिकारी रेलवे स्टेशन, कुरूक्षेत्र को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रत्येक टिकट काउंटर पर कर्मचारियो के लिए मास्क एवं सैनेटाईजर उपलब्ध करवाये तथा भी स्टेशनों पर यात्रियों हेतू हाथ धोने के लिए मास्क एवं सैनटाईजर उपलब्ध करवाये तथा सभी स्टेशनों पर यात्रियों हेतू हाथ धोने के लिए साबुन व सैनेटाईजर की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि करोना वायरस से सम्बन्धित कोई भी खबर इलैक्ट्रोनिक/प्रिन्ट मिडिया स्वास्थ्य विभाग को पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित ना करें । यदि कोई व्यक्ति/संस्थान/संगठन द्वारा किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो उसके विरूद्व उपरोक्त अधिनियम के तहत दण्डावत कार्यवाही की जायेगी।
9. सिविल सर्जन कुरूक्षेत्र जिलें मे स्थित सभी सरकारी/ प्राईवेट अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वह अस्पताल मे मास्क एवं सैनेटाईजर आदि की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करें। तथा विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का रिकार्ड रखें एवं सन्देहास्पद व करोना वायरस से संकमित केसों मे निगरानी मे रखना सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन कुरूक्षेत्र को यह भी निर्देश दिए जाते है कि ओपरेशन का समय सुबह व सायं को शिफट में व्यवस्थित करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अनावश्यक भीड इक्ट्ठी ना हो तथा यह भी निर्देश दिए जाते है कि अगर कोई व्यक्ति (COVID-19) से संकमित है उनपर Indelivle ink से स्टैम्पड किया जाये।
10. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक को निर्देश दिए जाते है कि वह अनिवार्य खाद्य सामग्री का स्टॉक मार्किट में उपलब्ध करवायेगें तथा ब्लैक मार्किटींग बन्द करवायेगें तथा दुकानदारों के रेटों की जांच पडताल करके उक्त खाद्य सामग्री के रेट की सूचि भी दुकान के बाहर लगवायेगे।
11. सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए जाते है कि आवश्यक सेवाओं को छोडकर बाकि पब्लिक डिलिंग कम की जाये।
12. सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए जाते है कि जो कर्मचारी 50 वष की उमर से उपर के है अथवा अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति व गर्भवती स्त्री को घर से कार्य करने की हिदायत दी जाये।
13. यदि कोई व्यक्ति करोना वासरस से सकंमित स्थान/विदेश से पिछले 14 दिनों में यात्रा करके आया है तो उसकी सूचना तुरन्त सरकारी अस्पताल व हैल्पलाईन नम्बर 70278-54102 एवं 01744-259285 पर देना सुनिश्चित करें।
14. यदि किसी संकमित स्थान/विदेश से आये यात्री में करोना वारयस से सम्बन्धित लक्षण जैसे तेज बुखार, खांसी, सांस लेने मे परेशानी ना हो तो भी उस व्यक्ति को घर में अन्य व्यक्तियों से अलग रखें व उक्त व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें।
15. यदि कोई विदेश से आया व्यक्ति सन्देहास्पद पाया जाता है और वह अस्पताल मे भर्ती होने व अलग रहने से मना करता है तो प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्त नियम 3 के तहत उक्त व्यक्ति को 14 दिन व उस व्यक्ति की लैब टैस्ट रिर्पोट आने तक आईसोलेशन केन्द्र में भर्ती करवाया जायेगा।
16. जिले मे स्थित सभी धार्मिक स्थलो को प्रबन्धक समिति/रिसिवर/पुजारियो को निर्देश दिए जाते है कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्वालुओं की संख्या नियन्त्रित करने हेतू एवं सरकार द्वारा जारी हिदायतों की आदेशानुसार पालना हेतू जनहित में स्थलो का तत्काल श्रद्वालुओं के लिए बन्द करें। केवल पुजारीगण ही धार्मिक अनुष्ठान करें।
17. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरूक्षेत्र को निर्देश दिए जाते है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतू राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान देशवासियों से अपील की है कि वह दिनांक 22.03.2020 को जनता के लिए जनता द्वारा जनता कर्फ्यू का पालन किया जाए। जिसके लिए सभी

Scanned by CamScanner

आम नागरिक दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 7:00 बजे से लेकर रात्रि 9:00 बजे तक अपने घर के अन्दर रहेगे तथा अपने अधीन कार्यरत ग्राम सचिवो , पार्षदो एवं सरपंचो के माध्यम से आम नागरिको को कोरोना वायरस से बचाव एवं जनता कर्फ्यू के सही आदेशो बारे आम जनता को जागरूक करेगे। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवाओ लगे हुए अधिकारियो/कर्मचारियो के सम्मान मे दिनांक 22.03.2020 को सायं 5:00 बजे सभी आम नागरिक अपने घर के दरवाजो, खिड़कियो, बालकनी पर खड़े होकर तालियां, थाली एवं घंटियों को बजाकर उनका उत्साहवर्धन करने हेतू भी जागरूक करेगे ।

18. इसके अतिरिक्त जिले मे स्थित कोई भी क्षेत्र करोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उस क्षेत्र मे निम्नलिखित प्रतिबंध लगा दिये जायेगे:-

(क) संक्रमित क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील कर दिया जायेगा।

(ख) उक्त क्षेत्र के अधीन कार्यालय , स्कूल व जनसभा पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा ।

(ग) संक्रमित क्षेत्र से व्यक्तियो की आने जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जायेगी ।

(घ) संक्रमित क्षेत्र से आने जाने वाले वाहनो पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।

(ड़) सभी सन्देहास्पद केसो के लिए अलग से आईसोलेशन केन्द्र/अस्पताल बनाया जायेगा।

(च) संक्रमित केसो के लिए किसी भी सरकारी भवन को प्रतिबंधित केंद्र बनाया जायेगा।

(छ) जिला के सभी सरकारी कर्मचारी जिला प्रशासन के अधीन उक्त क्षेत्र मे डयूटी के लिए बाध्य रहेगे।

यदि किसी व्यक्ति, संस्थान, संगठन आदि द्वारा उपरोक्त आदेशो की अवलेहना की जाती है तो उसके विरूद्व भारतीय दंड सहिता की धारा 188 (45 ऑफ 1860) के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी ।

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

पृ0 कमांक 6889-6906 /एम.ए.दिनांक :- 21/03/2020

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तुरन्त पालना हेतू प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपने अधीनस्थ थाना प्रबन्धको को आवश्यक कार्यवाही करने हेतू निर्देश जारी करें।
2. उपमण्डल अधिकारी(ना0), थानेसर/शाहाबाद/पेहवा/लाडवा को भेजकर लिखा जाता है कि वे उनके क्षेत्र मे उपरोक्त निर्देशो को लागू करवाना व इसके अतिरिक्कत स्थिति अनुसार कोई अन्य हिदायत दी जानी उचित हो तो वह अपने स्तर पर जारी करना सुनिश्चित करे।
3. नगराधीश, कुरूक्षेत्र।
4. रजिस्ट्रार, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।
5. निदेशक एन.आई.टी/एन.आई.डी कुरूक्षेत्र ।
6. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
7. सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
9. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
10. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
11. जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
12. महाप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, कुरूक्षेत्र ।
13. स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, कुरूक्षेत्र ।

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

पृ0 कमांक 6907 - 6957 /एम.ए. दिनांक :- 21/03/2020

इसकी एक प्रति जिला कुरूक्षेत्र के सभी विभागाध्यक्ष को पालनार्थ एवं तुरन्त कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

पृ0 कमांक 6958 /एम.ए. दिनांक :- 21/03/2020

इसकी एक प्रति जिला लोक एवं जनसम्पर्क अधिकारी, कुरूक्षेत्र को भेजकर लिखा जाता है कि नियमित रूप से आमजन को जागरूक करने हेतू उक्त आदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार करवान सुनिश्चित करें।

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

Scanned by CamScanner